विदेशी मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार को इन खबरों की जानकारी हैं कि पकिस्तान चीन की मदद में खराब में 40 मेगावट के एक परीक्षणात्मक नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण कर रहा हैं। जिससे प्लूटोनियम का उत्पादन होगा। सरकार ने हाल ही में इस आशय की भी खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान चीन से 5000 रिंग मेगनेट्स आर्जित कर रहा हैं जिसका उपयोग नाभिकीय हथियारों के लिए यूरेनियम के संवर्धन हेतु अपकेन्द्रीय करना हैं।

(ख) इस आशय की खबरें मिली हैं कि कहूटा संवर्धन सुविधा के उपयोग के लिए पाकिस्तानी द्वारा चीन से 5000 रिंग मेगनेट्स के अर्जन को देखते हुए अमरीकी सरकार ने हैंक ब्राउन संशोधन के तहत अनुमोदित 368 मिलियन अमरीकी डालन के हथियार पैकेज की आपूर्ति के संबंध में अपनी असमर्थता से पाकिस्तान को अवगत करा दिया हैं। अमरीका के अधिकरिया प्रवक्ताओं ने कहा हैं कि पाकिस्तान को हथियार के पैकेज की आपूर्ति से सम्बद्ध निर्णय यह तब लेगा जब अमरीका चीन द्वारा पाकिस्तान को तथाकथित रिंग मेगनेट्स की आपूर्ति के संबंध में चीन के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में निर्णय ले लेगा।

(ग) और (घ) पाकिस्तान के शस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम और अपनी वैध सुरक्षा आवश्यकताओं से अधिक सैन्य क्षमताओं की अभिवृद्धि के लिए बाह्यय सहायता प्राप्त करने के बारे में सरकार ने अपनी चिन्ता से सभी संबधितों को भली- भांति बता दिया हैं जिसमें अमरीकी सरकार तथा चीन की सरकार भी शमिल हैं। अमरीकी द्वारा पाकिस्तान को 368 मिलियन अमरीकी डालर के उत्रत सैन्य उपकरणों के पैकेज के प्रस्तावित अन्तकरण के संबध में भारत की गम्भीर चिन्ता से बार-बार अमरीकी प्रशासन तथा अमरीकी कांग्रेस को अवगत कराया गया हैं। अमरीकी कोयह कहा गया है कि इस प्रस्तावित अन्तरण का अर्थ होगा पकिस्तान द्वारा गुप्त रूप से नाभिकीय प्रौद्योगिकी तथा सामग्रिय और साथ ही तीसरे देशों में बौलिस्टिक प्रेक्षपास्त्रों के अर्जन को वैध ठहराना जबकि वह बड़ी तादाद में अमरीका से सैन्य तथा आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा हैं । इस संदर्भ में हमारी सरकार ने अमरीकी सरकार से पाकिस्तान को चीन द्वारा रिंग मेगनेट्स की आपूर्ति के संबधं में मीडिया खबरों का भी उल्लेख किया हैं।

New scheme for LPG connections

143. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry has since introduced a scheme for grant of LPG connections to some specific categories of citizens on payment of a lump-sum and non-refundable amount of Rs. 4,000/- or so;

(b) if so, the details of such categories of citizens as also eligibility criteria etc thereof; and

(c) the details of LPG connections given till date under this scheme'-

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) The Government have decided to release LPG connection on demand (Tatkal) to certain categories of persons. The main features of the scheme, presently in force, are as under:

(i) The Tatkal connection shall be released against one time payment of non-refundable lump-sum amount of Rs. 4000/- besides payment of normal/ applicable security deposit for loaned equipment as applicable for domestic consumers.

(ii) The Tatkal connection will be issued in the name of individual only.

(iii) The Tatkal connection will be released with DBC.

(iv) A total of 10% of annual industry allocation for release of new connections will be allocated for Tatkal connections.

(b) Following categories of prospective customers are eligible for release of LPG connection under this scheme:

(a) Physically handicapped persons.

(b) Doctors under medical profession.

(c) NRIs.

(d) Staff of foreign nationality serving in embassies, consulates, trade commissioners.

(e) Foreign nationals residing in India under valid visa.

(0 Persons returning to India on transfer of residence basis.

(g) Retired defence personnels within one year of their retirement.

(h) Professionals, namely, lawyers, Chartered Accountants, Chartered Engineers and Architects.

(i) Any person who has booked his LPG connection more than one year ago.

(c) Under this scheme 30689 connec tions have been released upto January. 1996. -

निर्यातोन्मुखी उपभोक्ताओं खाद्य उद्योगों की स्थापना करना

144. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994 और 1995 के दौरान शत – प्रतिशत निर्यातान्मुखी उपभोक्ताओं खाद्य उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे और अधिक एककों की स्थापना हेतु कोई आवेदन – पत्र लंबित हैं;

(घ) यदि हां , तो तत्संबधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ड) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) और (ख) 1994-95 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य , एकीकृत एक्वाकल्चर और गहन समुद्री मत्स्यन हेतु शत- प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों के 110 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई । इनका रोज़गार ब्यौरा संलग्र विवरण मे दिया गया हैं

(ख) मंत्रालय के पास कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(घ) और (ड) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान अनुमोदित शत प्रतिशत निर्यान्तोमुखी यूनिटों के ब्यौरें

राज्य	प्रस्तावों की संख्या
आन्ध प्रदेश	29
बिहार	1
गुजरात	7
हरियाणा	13
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	11
केरल	1
मध्य प्रदेश	3
उड़ीसा	2
पंजाब	3
राजस्थान	1
तमिलनाडु	7
उत्तर प्रदेश	6
पश्चिम बंगाल	4
अंडमान निकोबार	
दादर तथा नगर हवेली	
गोवा	1
पांडिचेरी	
मेघालय	
महाराष्ट्र	19
त्रिपुरा	1
भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र	
कुल	110

Approval of Pooyam Kutty Hydcl Power Project Kerala

145. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the department of Environment have approved the Pooyam Kutty Hydel Power Project of Kerala; and